प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक- 06.06.2026**

थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग बालिका को बहला फुसला कर ले जाने की घटना कारित करने वाले वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, थाना मंगलपुर पर दिनांक 30.05.2026 को वादिनी द्वारा तहरीर दी गयी कि उसकी नाबालिग पुत्री उम्र 17 वर्ष के साथ अपनी बहन निवासिनी ग्राम पदमपुर थाना मंगलपुर के घर पर रहना तथा दिनांक 12.04.2026 की सुबह समय करीब 11.30 बजे वादिनी की पुत्री द्वारा शौच के लिये जाना तभी अभियुक्त अक्षय पुत्र राधे निवासी अमर सिंह का पुरवा मजरा धनीरामपुर थाना रूरा जनपद कानपुर देहात द्वारा अपने मित्र चिंकू के साथ कार से आकर वादिनी की नाबालिग पुत्री को कार मे बैठाकर ले जाना एवं वादिनी द्वारा अभियुक्तगण के घर पर उलाहना देने जाने पर अभियुक्त अक्षय की मां अनीता, पिता राधे तथा चिंकू की माता मीरा व पिता परशुराम द्वारा वादिनी के साथ गाली-गलौज कर झगड़ा करने पर आमदा हो जाने के संबंध में थाना मंगलपुर पर मु0अ0सं0 141/2026 धारा 137(2)/87/352/131 बीएनएस बनाम 1.अक्षय पुत्र राधे निवासी अमर सिंह का पुरवा मजरा धनीरामपुर थाना रूरा जनपद कानपुर देहात आदि 06 अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया। थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अक्षय पुत्र राधे निवासी अमर सिंह का पुरवा मजरा धनीरामपुर थाना रूरा जनपद कानपुर देहात को दिनांक 06.06.2026 को विरहाना ओवर ब्रिज के नीचे से गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तों के विरुद्ध के विधिक कार्यवाही प्रचलित है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता-

अक्षय पुत्र राधे, उम्र 19 वर्ष निवासी अमर सिंह का पुरवा मजरा धनीरामपुर थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना मंगलपुर पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री मिलन सिरोही
2. रि0का0 987 आलोक कुमार
3. रि0म0का0 1351 दीक्षा